

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/820/2013- राँची, दिनांक

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिनू, राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत जयप्रभा कम्पलेक्स कदमा, जमशेदपुर के नजदीक खरकई नदी के दांये तट पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य हेतु रु० 102.54 लाख (एक करोड़ दो लाख चौवन हजार मात्र) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत जयप्रभा कम्पलेक्स कदमा, जमशेदपुर के नजदीक खरकई नदी के दांये तट पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य हेतु रु० 102.54 लाख (एक करोड़ दो लाख चौवन हजार मात्र) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. यह कार्य स्थल पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत जयप्रभा कम्पलेक्स कदमा, जमशेदपुर के नजदीक खरकई नदी के दांये तट पर अवस्थित है।
4. इसका कार्यान्वयन निम्नवत् किया जायेगा :-
वर्तमान में बोल्टर क्रेटिंग के ऊपर नदी के दांये स्लोप में अतिरिक्त बोल्टर क्रेटिंग का कार्य एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार स्लोप प्राप्त करने हेतु मिट्टी भराई का कार्य।
5. यह कार्य वर्ष 2016-17 में पूर्ण कर लिया जायेगा।
6. इस कार्य पर होनेवाला व्यय:-
 - i) मुख्य शीर्ष -4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -01- बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष -789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण, इकाई-45 निर्माण कार्य एवं
 - ii) मुख्य शीर्ष -4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष -01- बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58-नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन विस्तृत शीर्ष-05 निर्माण, इकाई-45 निर्माण कार्य के अंतर्गत भारित होगा।
7. यह कार्य सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, जमशेदपुर द्वारा कराया जायेगा तथा कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, जमशेदपुर इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे एवं मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स आदित्यपुर, जमशेदपुर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
8. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।
9. इस कार्य के लिए वर्ष 2015-16 के बजट में उपबंध है एवं वर्ष 2016-17 के प्रस्तावित बजट में उपबंध है।

10. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
11. झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम-300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
12. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
13. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, पो०-हिन्नु राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/820/2013- राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/820/2013- राँची, दिनांक

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर कोषागार झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/820/2013- राँची, दिनांक 22.04.2016

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स आदित्यपुर जमशेदपुर/कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, जमशेदपुर/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

22/4/16